न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 08/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 किशन लाल पुत्र राधा किशन मुंद्रा निवासी सांखला बास, चेनार, नागौर। मैसर्सः– आर.के. महेश्वरी ट्रेडींग कम्पनी, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के पीछे, डेह रोड, नागौर। 2 रामेश्वरी पत्नी गोकल राम निवासी 256, वार्ड नम्बर 8, रासीसर बास बडा, रासीसर, बीकानेर (फौत) मैसर्सः–विश्नोई भुजिया उद्योग, प्लोट नम्बर एच–94/95, रिको इंडस्ट्रियल एरिया, नोखा, बीकानेर।

दिनांक :24.09.2025

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 23-07-24 को मैसर्स आर.के. महेश्वरी ट्रेडींग कम्पनी, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर के पीछे, डेह रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ बीकानेर भुजिया (GKG) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3102 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/855/एक्ट/2024/885 दिनांक 31.07.24 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ बीकानेर भुजिया (GKG) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण किशन लाल पुत्र राधा किशन मुंद्रा निवासी सांखला बास, चेनार, नागौर तथा रामेश्वरी पत्नी गोकल राम निवासी 256, वार्ड नम्बर 8, रासीसर बास बडा, रासीसर, बीकानेर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 21-04-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण के विचाराधीन रहते हुए अप्रार्थी संख्या 02 के पुत्र सुनील भाम्बु पुत्र गोकुलराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 02 रामेश्वरी पत्नी गोकल राम निवासी 256, वार्ड नम्बर 8, रासीसर बास बडा, रासीसर, बीकानेर की मृत्यु दिनांक 03.04.2025 को हो हाने से प्रकरण से हटाने का निवेदन किया, जिस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनापत्ति जाहिर की। जिसको बाद सुनवाई अप्रार्थी संख्या 02 को प्रकरण से Strike out किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपना जवाब प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से बीकानेर भुजिया (लूज) का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। भविष्य में बीकानेर भुजिया (लूज) बेचते समय ध्यान रखूंगा। अप्रार्थी सं. 1 ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/855/एक्ट/2024/885 दिनांक 31.07.24 के अनुसार खाद्य पदार्थ बीकानेर भुजिया (लूज)का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 किशन लाल पुत्र राधा किशन मुंद्रा निवासी सांखला बास, चेनार, नागौर पर रूपये 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/9/25

(चम्पालाल जीनगर)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)